रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305] नई दिल्ली, बुधवार, जून 2, 1999/ज्येष्ठ 12, 1921

No. 305] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 2, 1999/JYAISTHA 12, 1921

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

(प्रवर्तन प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1999

का. आ. 408(अ).— केन्द्रीय सरकार, हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 (1985 का 22) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, अपना यह समाधान हो जाने पर कि हथकरघा उद्योग के संरक्षण और विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के आदेश संख्यांक का.आ. 557 (अ) तारीख 26.7.1996 का तत्काल प्रभाव से निम्न लिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त आदेश की सारणी में, क्रम संख्यांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"8	**बैरक कम्बल, कम्बल या कम्बली**	(क)	बैरक कम्बल से, औसत 34 माईक्रोन या उससे मोटी ऊन का बना रेशेदार सतह वाला मोटा कपड़ा अभिप्रेत है, जिसका मिलिंग और रेजिंग से उत्पादन किया जाता है; तथा

इसमें ऐसे बैरक कम्बल शामिल हैं जो प्राकृतिक ग्रे या काली ऊन या इसके मिश्रण से हाथ से कते या मिल के कते ऊनी धागे का प्रयोग करके बने हों तथा जो किसी भी आकार तथा किसी भी बुनाई में तैयार किए जाते हों।

(ख) कम्बल या कम्बली से, औसत 34 माईक्रोन या उससे मोटे ऊन का बना रेशेदार सतह वाला ऐसा मोटा कपड़ा अभिप्रेत है, जिसे मिलिंग तथा रेजिंग द्वारा तैयार किया जाता है तथा जिसमें ऐसे कम्बल या कम्बली शामिल हैं जो हाथ से कते अथवा मिल के कते ऊनी धागे, वर्स्टेड या उनके मिश्रित धागों का प्रयोग करके सादा, धारीदार या चारखाना डिजाईन में बुना गया हो।

(ग) मद (क) तथा मद (ख) की कोई बात शॉडी यार्न, जो कि पुनः प्रयुक्त या पुनः प्रसंस्कृत ऊन तथा पुराने सिन्थैटिक कपड़ों से बनें घटिया किस्म का ऊनी धागा है, से बने बैरक कम्बल, कम्बल, या कम्बली पर लागू नहीं होगी।"

[फा. सं. 2/10/95-डीसीएच/सीईओ/जि-IV]

अरूण गुप्ता, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (हथकरघा)

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Development Commissioner for Handlooms)

(Enforcement Wing)

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1999

S.O. 408(E) In exercise of the powers conferred by Sub Section (I) of Section 3 of the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 (22 of 1985) the Central Government being satisfied after considering the recommendations made to it by the Advisory Committee that it is necessary to do for the protection and development of handloom industry, hereby amends with immediate effect, the order of the Government of India in the Ministry of Textiles, number S.O.557(E) dated 26.7.1996 as follows, namely:-

In the table of the said Order, for Serial Number 8 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"8. **Barrack Blanket, Kambal or Kamblies**	(a) Barrack blanket means a thick fabric made of wool of average 34 micron or coarser, with fibrous surface, produced by milling and raising; and includes barrack blankets made by using hand spun or mill spun woollen yarn from natural grey or black wool or its combination and produced in any size and in any weave. (b) Kambal or kamblies means a thick fabric made of wool of average 34 micron or coarser, with fibrous surface, produced by milling and raising; and includes kambal or kamblies made by using hand spun or mill spun, worsted, woollen yarn or its combination in plain, stripe or check design. (c) Nothing in items (a) & (b) shall apply to barrack blanket, kambal or kamblies made out of shoddy yarn, that is, a cheaper class of woollen yarn made from reused or recycled wool and synthetic rags."

[F. No. 2/10/95-DCH/CEO/Vol.IV]

ARUN GUPTA, Addl. Secy. & Development Commissioner (Handlooms)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1999.